श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 13.10.2017 को अपराह्न 02.00 बजे से आयोजित सिपाही भर्त्ती लिखित परीक्षा 2017 के आयोजन संबंधी ब्रीफिंग/बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : **यथा बैठक**

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2017 को दो पाली में एवं दिनांक 22.10.2017 को एक पाली में आयोजित होनेवाली सिपाही भर्त्ती लिखित परीक्षा 2017 के संदर्भ में बैठक में उपस्थित सभी केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं जोनल दण्डाधिकारी को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि इस जिला में कुल 10 परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 15.10.2017 को प्रथमपाली में 5904 एवं द्वितीय पाली में भी 5904 तथा दिनांक 22.10.2017 को 3552 परीक्षा देने आयेंगे। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि परीक्षा स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन करने की जिम्मेवारी केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं जोनल दण्डाधिकारी की होती है। परीक्षा में किसी प्रकार का कदाचार अथवा गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए एवं सफलतापूर्वक परीक्षा का संचालन करेंगे।

परीक्षा देने के लिए दूसरे जिले के परीक्षार्थी आयेंगे। ऐसी स्थिति में परीक्षा की तिथि के एक दिन पूर्व रात्रि में एवं परीक्षा के दिन खगड़िया बस पड़ाव एवं खगड़िया रेलवे स्टेशन पर भीड़ का दबाव बढ़ेगा। इसीलिए किसी प्रकार का कोई घटना नहीं हो इसे सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा R.P.F Inspector, राजकीय रेल थाना एवं स्टेशन प्रबंधक को इस संबंध में निदेश देंगे। थानाध्यक्ष, नगर थाना, खगड़िया को भी निदेशित किया गया कि परीक्षा के दिन शहर में भीड़ रहने की संभावना है इसलिए इसपर विशेष चौंकसी एवं ध्यान देने की आवश्यकता है तथा गश्तीदल भी कराना आवश्यक होगा।

केन्द्राधीक्षकों को निदेश दिया गया कि परीक्षा केन्द्र पर Toilet एवं पीने का पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

सभी जोनल दण्डाधिकारी–सह–गश्तीदल दण्डाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे निर्धारित समय पर कोषागार से प्रश्नगत प्राप्त कर परीक्षा केन्द्रों में पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। कोषागार पदाधिकारी को भी निदेशित किया गया कि समय पर जोनल दंडाधिकारियों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

केन्द्राधीक्षकों को निदेशित किया गया कि परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पूर्व ही प्रवेश–पत्र देखकर परीक्षार्थियों को प्रवेश कराया जाय ताकि अफरा–तफरी की स्थिति पैदा नहीं हो। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात् परीक्षा केन्द्र का पूरा गेट

खोल दिया जाय ताकि परीक्षार्थी आसानी से निकल सकें। यदि परीक्षार्थी के बैठाने हेतु बैंच डेस्क की कमी हो तो वे जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया से सम्पर्क करेंगे तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

केन्द्राधीक्षकों एवं स्टैटिक दण्डाधिकारियों को निदेश दिया गया कि परीक्षार्थियों को प्रवेश द्वार पर ही फ्रिस्किंग के लिए जगह निर्धारित कर फ्रिस्किंग कराना सुनिश्चित करेंगे।

केन्द्राधीक्षकों को निदेश दिया गया परीक्षा हॉल एवं परीक्षा केन्द्र परिसर की वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे।

केन्द्राधीक्षकों को निदेश दिया गया कि प्रवेश–पत्र एवं फोटो से पहचान कर ही परीक्षार्थी को परीक्षा में प्रवेश दिया जाय। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही की शिकायत मिलने पर केन्द्राधीक्षक एवं संबंधित दोषी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

केन्द्राधीक्षकों को निदेश दिया गया कि परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) बिहार, पटना के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में की जाय। साथ ही उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि केन्द्रीय चयन पर्षद के द्वारा दिये गये अनुदेशों के आलोक में परीक्षा का संचालन करेंगे एवं उसका अक्षरसः पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

केन्द्राधीक्षकों को निदेश दिया गया कि परीक्षा निर्धारित समय पर ही प्रारंभ एवं समाप्त किया जाय।

केन्द्राधीक्षक को निदेश दिया गया कि परीक्षा केन्द्र पर Public Address System की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), खगड़िया द्वारा बताया गया कि प्रत्येक तिथि एवं पाली के लिए परीक्षा कोड निर्धारित है, अतएव केन्द्राधीक्षकगण परीक्षा कोड के अनुसार ही बक्सा खोलने तथा 1:6 के अनुपात में परीक्षार्थी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि परीक्षार्थियों के अंगूठा का निशान सही ढंग से लगवायेंगे। परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाईल नहीं रखेंगे तथा मोबाईल जहाँ भी रखा जाय ऑफ मोड (OFF MODE)में रहना चाहिए।

दोनों पालियों की परीक्षा प्रारंभ होने से समाप्ति तक सभी फोटो स्टेट मशीन बन्द रखने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को दिया गया।

केन्द्राधीक्षकों को परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व से ही तथा परीक्षा समाप्त होने तक लगातार लगातार सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे गोपनीय सामग्री का सील खोलकर निकालना एवं पैक करना आदि तथा परीक्षा कक्षों में परीक्षा की प्रक्रिया आदि की

विडियोग्राफी कराने का निदेश दिया गया। विडियोग्राफी लगातार की जायेगी तथा इसे बीच में बन्द नहीं किया जायेगा।

केन्द्राधीक्षकों को परीक्षा केन्द्र पर आवश्यकता अनुरूप वीक्षक को लगाने तथा कुछ वीक्षक को सुरक्षित रूप से रखने का निदेश दिया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया सभी परीक्षा परीक्षा केन्द्रों पर 200 गज के अन्दर CRPC की धारा–144 के तहत परीक्षार्थियों के अलावा अन्य लोगों हेतु निषेधाज्ञा लागू करेंगे।

सभी केन्द्राधीक्षक एवं जोनल दण्डाधिकारी को निदेशित किया गया कि किसी भी स्थिति में परीक्षा केन्द्र पर कदाचार नहीं हो, इसे सुनिश्चित करेंगे। साथ ही परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षकों द्वारा भी किसी प्रकार का कदाचार में सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। इसे प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक सुनिश्चित करेंगे।

उड़न दस्ता दंडाधिकारी भी अपने आवंटित परीक्षा केन्द्रों को लगातार निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि–व्यवस्था संधारण एवं शांति पूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु जिला संयुक्त आदेश ज्ञापांक 2261/गो0 दिनांक 10.10.2017 के द्वारा निर्गत् किया गया है जिसमें विस्तृत निदेश दिया गये हैं। इसके साथ ही केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा अनुदेश निर्गत् किये गये है। केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दंडाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ह0/

जिलाधिकारी
खगड़िया।

ज्ञापांक.........../गो0, दिनांक..........

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/उप विकास आयुक्त, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/सहायक संयोजक/सभी प्रतिनियुक्त जोनल दण्डाधिकारी, स्टैटिक दण्डाधिकारी, उड़ानदस्ता/सभी केन्द्राधीक्षक/जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद–सह–पुलिस महानिदेशक, बिहार पुलिस अकादमी बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
खगड़िया।